# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस

**पत्रावली संख्याः– 02/2019/निगरानी**

श्री किशनलाल दीवान पुत्र श्री जगन्नाथ दीवान जाति महाजन निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 केदारनाथ दीवान पुत्र जगन्नाथ दीवान जाति महाजन निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी प्लॉट बी–70, सहकार मार्ग, लाल कोठी स्कीम, जयपुर
2 ग्राम पंचायत जरिये सचिव ग्राम पंचायत पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

**गैर निगरानीकर्तागण**

**निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय (विकास अधिकारी) पंचायत समिति पाटन जिला सीकर दिनांक 01.01.2019**

वकील प्रार्थी श्री महेश कुमार पटेल
वकील अप्रार्थी श्री मोहन सिंह मूण्ड

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

निर्णय

दिनांकः–09.08.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पक्ष ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ग्राम पंचायत पाटन पंचायत समिति पाटन जिला सीकर द्वारा ग्राम पाटन की आबादी भूमि मेंएक भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.07.2017 को समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये जारी किया तथा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुये उक्त पट्टा का पंजीयन दिनांक 07.08.2017 को निगरानीकर्ता के पक्ष में करवा दिया। ग्राम पंचायत ने आवश्यक व उचित विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उक्त पट्टा जारी किया। उक्त पट्टा के विरूद्ध अवधि बाधित व विधि विरूद्ध तरीके से गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने अपील पेश की है, जो अपील किसी भी तरह से चलने योग्य नही है। उक्त गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील में विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटन ने एक पक्षीय विधि विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांकित 01.01.2019 को पारित कर दिया जो निम्न प्रकार से है–"श्री केदारनाथ दीवान पुत्र श्री जगन्नाथ दीवान जाति महाजन निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी प्लॉट बी–70 सहकार मार्ग, लाल कोठी स्कीम जयपुर ने ग्राम पंचायत के पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.07.2017 को निरस्त करने हेतु इस कार्यालय में अपील की है। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 24.12.2018 के प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विवादित स्थल पर आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य व तोड़–फोड़ न की जावे। आगामी आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखें।" योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांकित 01.01.2019 एक पक्षीय रूप पारित किया गया है। इसमें निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक कानूनी प्रावधानों का [illegible] भारी कानूनी भूल कारित [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि आगामी आदेशो तक यथास्थिति बनाये रखे, किन्तु आगामी तारीख पेशी नही दी गई। कानूनन आज्ञापक प्रावधान है कि यदि एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो आवश्यक रूप से एक माह में दोनों पक्षो को सुनकर उक्त स्थगन आदेश के बाबत उचित आदेश पारित करना होता है अन्यथा उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तो उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2019 को पारित करने के उपरान्त आगामी तारीख पेशी ही निर्धारित नही की है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन किया है, उक्त विधिक प्रक्रिया में पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त पट्टा जारी करने वाले भूखण्ड के कब्जे के बारे में रिपोर्ट ली जाती है, इस बाबत ग्राम पंचायत पाटन ने मौका निरीक्षण हेतु कमेठी का गठन किया, जिसमें तीन वार्ड पंचो को नियुक्त किया गया है। उक्त वार्ड पंचो की कमेठी ने मोके पर जाकर आस–पास में पूछताछ कर तथा कब्जे की जांच कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गयी। इसके उपरान्त ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पाटन की उक्त पट्टे की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.07.2018 से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत प्रारूप प्रपत्र 22 में 07 दिन का ऐतराजी नोटिस जारी करने की विधिक प्रक्रिया की उचित पालना की गयी है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 के निवास पते से ही स्पष्ट है कि वह पाटन में आवास–निवास नही करता है, वह जयपुर मे आवास–निवास करता है। इससे स्पष्ट है कि किसी भूखण्ड पर पाटन में उसका कब्जा कैसे हो सकता है। पट्टा जारी करवाने के लिये निरन्तर कब्जा होना आवश्यक है। विवादग्रस्त पट्टा रजिस्टर्ड है एवं किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही है। इस प्रकार उक्त अपील पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में नही होने कारण चलने योग्य नही है। उक्त समस्त तथ्यों का गौर नही करके योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कारित की है। इस वजह से आलौच्य आदेश दिनांक 01.01.2019 निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति पाटन द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 01.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का कथन है कि विवादित भूखण्ड निर्विवाद रूप से गैरनिगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं कब्जे का है तथा ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने से पूर्व गैरनिगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई एव ना ही किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित की गई। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश को यथावत रखा जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.11.2018 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 06.11.2018 को प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 06.11.2018 को प्रकरण दर्ज करने के उपरांत आदेशिका में आगामी तारीख का अंकन नहीं किया गया है। इसके पश्चात् विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटन के पत्र कमांक 2447–49 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उक्त स्थगन आदेश जारी करने के सम्बंध में आदेशिका पर किसी प्रकार की रिपोर्ट अंकित नहीं है। दिनांक 06.11.2018 से दिनांक 01.01.2019 के मध्य किसी प्रकार की कार्यवाही करने के सम्बंध में पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। स्थगन आदेश दिनांक 01.01.2019 में भी आगामी तारीख पेशी अंकित नहीं की गई है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त

Web Copy - Not Official

द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश में इन बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण विकास अधिकारी प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति पाटन को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि चुनौतिग्रस्त स्थगन आदेश दिनांक 01.01.2019 का एक माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण करते हुए मूल अपील में गहनता से जांच एवं विवेचना करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
**अति0 जिला कलक्टर, सीकर**